संख्या-77/2021/1050/22-2-2020-17(410)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 मई, 2021***

विषय:-जिला कारागार, बहराइच में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महाराजदीन मिश्रा पुत्र श्री समयदीन मिश्रा, निवासी जनपद-बहराइच की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे-5-दया0 बैठक-28-09-2020 दिनांक 02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बहराइच में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महाराजदीन मिश्रा पुत्र श्री समयदीन मिश्रा, जो ग्राम-बरूहा कोडर, दा0-सिसैया चूड़ामणि, थाना-हरदी, जनपद-बहराइच का रहने वाला है। बंदी द्वारा पुरानी रंजिश व प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर दिनांक 29.06.1995 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राईफल बन्दूक, कांता व कट्टा से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-220/1997 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, बहराइच के आदेश दिनांक 07.09.2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2020 तक 01 वर्ष 01 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 01 वर्ष 02 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु दयायाचिका समिति ने बन्दी महाराजदीन मिश्रा पुत्र श्री समयदीन मिश्रा द्वारा कारावास में भोगी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी महाराजदीन मिश्रा (बन्दी संख्या-174/2019) पुत्र श्री समयदीन मिश्रा, निवासी जनपद-बहराइच की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-77/2021/1050(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच।
2-अधीक्षक, जिला कारागार, बहराइच।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।